हुक्म

हुक्म या कार्यवाही गया इनिशियल्स जज

15/11/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रतीगण अनुपस्थित। मामले में सिर्फ गवाह गवाह सिर्फ के अनुपस्थित रहने के विप्रतीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रिकार्ड के अवलोकन से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण व विप्रतीगण विवादित जमीन के रेकर्डेड सहखातेदार है। हिस्से खुले हुए है, परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने के बाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया है सीमाने का निर्धारण बाद पत्र के तय होना है। सह-खातेदार को निष्पादन के पावन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का अपील पत्र मंजूर कर खारिज किया जाता है। कार्यवाही निरोध होकर मूल वाद संख्या नत्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी